रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935
No. 43]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(डाक विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 63(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (सर्किल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में डाक सहायक) भर्ती नियमावली, 1996 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सर्किल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में डाक सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–

(1) इन नियमों को डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सर्किल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में डाक सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियमावली, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि :–उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :–वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

5. शिथिल करने की शक्ति :–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवष्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेष द्वारा षिथिल कर सकेंगे।

6. व्यावृत्ति :–इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व–सैनिकों और अन्य विषेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा गैर–चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. डाक सहायक	4464* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड–1 5200–20200 रू. + 2400 रू. ग्रेड वेतन	चयन	18 से 27 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेषों/अनुदेषों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष तक और सामान्य श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक के लिए छूट) **टिप्पणी–1**: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेष, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कष्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेष के चंबा जिले के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) **टिप्पणी–2**: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दषा में, आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) अंग्रेजी के अनिवार्य विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय अथवा स्कूल षिक्षा बोर्ड अथवा माध्यमिक षिक्षा बोर्ड से 10+2 अथवा 12वीं कक्षा पास (व्यावसायिक विषय वर्ग को छोड़कर) (ii) मैट्रिकुलेषन अथवा समकक्ष में संबंधित डाक सर्किल के राज्य अथवा संघ षासित प्रदेष की स्थानीय भाषा अथवा हिन्दी का एक विषय के तौर पर अध्ययन किया हो।

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगीं या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति– सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना किस प्रकार की है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 75% , और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 25 प्रतिषत, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणीः** प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए परीक्षा, डाक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आवेदकों के चयन के मानदंड, पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न आदि के संबंध में जारी अनुदेषों के द्वारा नियंत्रित की जाएगी।	**पदोन्नति** संबंधित सर्किल कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय में 5200–20200 रु. + 1800 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड–I में मल्टी टास्किंग स्टाफ, तत्कालीन समूह 'घ' पद पर नियमित आधार पर की गई नियमित सेवा सहित ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ। **टिप्पणी** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिषों को लागू किया गया है, में नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिषों के आधार पर समनुरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा सिवाय उसके जिसमें एक से अधिक पूर्व संषोधित वेतनमानों का एक ही ग्रेड वेतन या वेतनमान में विलय कर दिया गया है, वहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए दिया जाएगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) के सदस्य होंगे– 1. निदेषक, डाक सेवाएं –अध्यक्ष; 2. एक समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी –सदस्य; 3. एक समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी –सदस्य; 4. केन्द्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्ष आवष्यक नहीं है।

[फा. सं. 60–37/2011–एसपीबी–I]

एन. टी. पेटे, निदेषक (एसपीएन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

G.S.R. 63(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts (Postal Assistant in Circle and Regional Offices) Recruitment Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Postal Assistant in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Posts, Circle and Regional Offices, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Posts, Circle and Regional Offices, Postal Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Postal Assistant	4464* (2014) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band - I ` 5200-20200 plus grade pay `2400.	Selection.	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:1**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andamam and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note:2—**In the case of	(i) 10+2 standard or 12th class pass from a recognised University or Board of School Education or Board of Secondary Education with English as a compulsory subject (excluding vocational streams); (ii) Must have studied local language of the State or Union territory of the concerned Postal Circle or Hindi as a subject at least in Matriculation or equivalent.

					recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years.	Seventy-five per cent by direct recruitment; and twenty-five per cent by promotion through a Limited Departmental Competitive Examination failing which by direct recruitment. **Note:-** The examinations for direct recruitment and promotion shall be governed by the instructions issued by the Department of Posts regarding the short listing criteria of the applicants, syllabus and pattern of test etc. from time to time.	**Promotion:** Multi Tasking Staff in pay band-1 of Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1800, of the concerned Circle Office or Regional Office with five years regular service in the grade including any regular service put in the erstwhile Group 'D' post on regular basis. **Note:—**For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— 1. Director Postal Services —Chairman; 2. A Group 'B' (Gazetted) Officer —Member; 3. A Group 'B' (Gazetted) Officer —Member; 4. A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government —Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 60-37/2011-SPB-I]

N. T. PAITE, Director (SPN)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.